संख्या- 860/2023/2620/35-4-2023/35-4099/381/2021

प्रेषक,

जे० एल० यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 16 अक्टूबर, 2023

विषय: जनपद झाँसी में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में नियोजन विभाग अनुभाग-4 उ0प्र0 के शासनादेश संख्या-473/2021/2378/35-4-2021, दिनांक- 15.12.2021 द्वारा जनपद झाँसी की वि0स0 क्षेत्र-गरौठा के अन्तर्गत स्वीकृत 19 निर्माण कार्यों में से क्रमांक-15 यथा ग्राम नागर में मैन रोड से शंकर बरार के मकान तक एवं नाला गढ़ा घाट के रपटा से बेठान की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत रू० 28.83 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू० 15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त गई थी।

2. जिलाधिकारी, झाँसी के पत्र संख्या-511/डीएसटीओ/त्व0आ0वि0पत्रा0 2021-22/वि0स0 गरौठा/मांग/2023-24 दिनांक-30 सितम्बर, 2023 द्वारा उल्लिखित कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू० 15.00 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए, प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष देय कुल रू० 13.83 (रूपये तेरह लाख तिरासी हज़ार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए प्रश्नगत चालू कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रु० लाख में)

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व मे अवमुक्त कुल धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1.	ग्राम नागर में मैन रोड से शंकर बरार के मकान तक एवं नाला गढ़ा घाट के रपटा से बेठान की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	28.83	15.00	13.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-15.12.2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये धनराशि कुल रू० 13,83,000/- (रूपये तेरह लाख तिरासी हज़ार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष- लेखाशीर्ष 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय , 04- जिला तथा अन्य सड़कें , 337- सड़क निर्माण कार्य , 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना , 0303- ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या-860/2023(1)/2620/35-4-2023/35-4099/381/2021, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 ।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी ।
10-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी ।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग|
12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झाँसी ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, झाँसी ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
जे० एल० यादव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।